न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

R/SH-17

हनीफ खान बल्द रहीम खान,

साकिन– धरमपुरा वार्ड दमोह तहसील व जिला दमोह ——— पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

मध्यप्रदेश शासन ——— उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता विरूद्ध पुनरीक्षण क्रमांक–6 अ/68 वर्ष 2015–16 आदेश दिनांक– 26/09/2016 पारित द्वारा श्रीमान् अपर कलेक्टर दमोह पक्षकार हनीफ खान बनाम् शासन जिसमें पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण निरस्त कर दी गई है ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

ग्राम धरमपुरा हल्का नंबर 16 तहसील व जिला दमोह के खसरा नंबर 193 रकवा 0.162 हे0 भूमि में 9 X 9 मीटर पर पुनरीक्षण का अवैंध कब्जा (अतिक्रमण) बताते हुए हल्का पटवारी के प्रतिवेदन पर धारा 248 का प्रकरण तहसीलदार दमोह पंजीबद्ध किया गया जिसमें तहसीलदार महोदय पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का अवसर न देतु हुए बिना साख्य लिये बिना किसी गाईडलाइन का उपयोग करते हुए मनमाने तरीके से अर्थदंड अधिरोपित कर बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने एक राजस्व अपल श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी दमोह के समक्ष प्रस्तुत की है । जिसमें पुनरीक्षणकर्ता ने धारा 49 म.प्र.भू.राजस्व संहिता के तहत साक्ष्य लेकर निराकरण करने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें बिना विचार किये ही अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने दिनांक– 26/03/2015 निरस्त कर दिया ।

उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने एक पुनरीक्षण क्रमांक– अ/68 वर्ष 2015–16 प्रस्तुत की गई जिसमें अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को समझे बगैर ही बिना किसी उचित आधार पर पुनरीक्षण निरस्त कर दी गई ।

——— 2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—151—एक / 2017 जिला—दमोह

हनीफ खान विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22—08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला—दमोह के प्रकरण क्रमांक 06 / अ—68 / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 26—09—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 10—10—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	